

कोट फीस 1.50 रू0 अनुसूचित
जाति को छोड़कर

राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम.....
2. पिता/पति का नाम
3. वर्तमान पता:
- (क) मकान नम्बर:
- (ख) मोहल्ला:
- (ग) ग्राम व राजस्व ग्राम:
- (घ) तहसील:.....
- (ङ.) जनपद:.....थाना.....
4. स्थाई पता:.....
-
5. जाति/उपजाति:
6. प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता:
7. प्रमाण पत्र का प्रारूप :
(1) भारत सरकार (2) उत्तर प्रदेश सरकार
8. क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है:.....

स्वयं
हस्ताक्षरित
दिनांकित
फोटो

आवेदनकर्ता/अभिभावक का नाम
हस्ताक्षर

आवश्यक दस्तावेज—

1. ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र जिसमें दो व्यक्तियों की गवाही हो
2. जाति और क्रिमिलेयर के सन्दर्भ में एफिटेविट (केवल ओ0बी0सी0 पिछड़ी जाति के लिये लागू)

नोट— आवेदन पत्र पूर्ण एवं स्पष्ट भरी जाये।